"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल 2006 — वैशाख 9, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-20/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/618.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री श्याम दास गुरुजी को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-20/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/618.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री बिहारी लाल सोनी को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-20/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/618.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जानकी प्रसाद सोनी को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-73/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/619.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत थान खम्हरिया, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री सजीवन को छत्तीगसढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.